<u>प्रतिवेद्य</u>

समक्ष भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपील न्यायक्षेत्र

सिविल अपील सं. 3399/2019

(एस. एल. पी. (सी) सं. 21469/2012 से उद्भूत)

भगवान दास गोयल (मृत) के माध्यम सेअपीलार्थी (गण) उसके विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य

बनाम

प्यारे किशन अग्रवालप्रत्यर्थी (गण)

<u>निर्णय</u>

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे

- 1. अनुमति प्रदान की गयी।
- 2. यह अपील रिट सी. सं. 14839/1993 के तहत मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अन्तिम निर्णय के विरूद्ध निर्देशित है जिसे अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका को मा. उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और ओ. एस. सं. 140/1992 में सिविल न्यायाधीश, झाँसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.1993 को सही ठहराया।
- 3. इस अपील के निस्तारण हेतु यहाँ नीचे कुछ बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना अत्यावश्यक है, जो कि छोटे विन्दु में शामिल हैं।
- 4. प्रत्यर्थींगण मूल प्रतिवादीगणों के विधिक प्रतिनिधि हैं और प्रत्यर्थी इसके अनुकूल वादी हैं जो कि इस अपील से उद्भूत है।
- 5. प्रत्यर्थी ने अपीलार्थियों के विरूद्ध पूर्ववर्ती शीर्षक में मध्यस्थता अधिनियम 1940 (अब बदली जा चुकी) के धारा 20 के तहत एक प्रार्थना पत्र दायर किया। प्रार्थना पत्र परस्पर आरोपों में पाई गयी कि दिनांक 05.07.1960 को पूर्ववर्ती शीर्षक में अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच "गुप्ता बस सर्विस" में भागीदारी थी।
- 6. तथापि, इस व्यवसाय-प्रतिष्ठान (गुप्ता बस सर्विस) के भागीदारों के बीच विवाद पैदा हुई, जिसके परिणामस्वरूप इसका विघटन हुआ। यह आरोपित हुआ कि पक्षों और भागीदारों के बीच विवादों की उत्पन्नता के संकल्प के लिए खण्ड 11 के भागीदारी विलेख मध्यस्थ द्वारा / पंच द्वारा प्रदान हुआ। अतः प्रत्यर्थी ने

उदघोषणा

प्रर्थना की कि भागीदारी विलेख के खणड 11 की शर्तों में विवादों के निर्णय हेतु,. जो कि भागीदारी सम्बन्धी पक्षों के बाच उत्पन्न हो, एक मध्यस्थ की नियुक्ति हो।

- 7. प्रत्यर्थी (प्रतिवादी) ने प्रथमतः यहाँ सेवा बढ़ोत्तरी का विवाद उठने पर आपत्ति जाहिर किया, चूँकि जहाँ तक भागीदारी का प्रश्न है, भागीदारी अधिनियम की धारा 20 के तहत आवेदन अपंजीकृत भागीदारी के रूप में पाया गया, अतः बार में निहित भागीदारी अधिनियम के धारा 69(3) के आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन पोषणीय नहीं था, अतः यह यथा सदृश निस्तारित होने के लिए उत्तरदायी था।
- 8. अपीलार्थी (प्रतिवादी) द्वारा उठाये गये आपत्ति को दीवानी न्यायाधीश के आदेश दिनांक 18.03.1993 द्वारा खारिज कर दिया गया और प्रत्यर्थी (वादी) द्वारा दायर आवेदन पोषणीय है जिसे रखा गया। अपीलार्थी (प्रतिवादी) ने पीड़ित महसूस किया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत मा. उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की।
- 9. आक्षेपित आदेश द्वारा मा. उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और दीवानी न्यायाधीश के आदेश, जो कि प्रत्यर्थी द्वारा इस न्यायालय में विशेष अनुमित के माध्यम से दायर अपील की वृद्धि की जा रही थी, को सही उहराया।

<u> उद्घाषणा</u>

- 10. इसलिए, संक्षेप में इस अपील के उदय पर विचार करते हुए कि क्या अपीलार्थी के रिट याचिका के निस्तारण में मा. उच्च न्यायालय न्यायोचित था।
- 11. मामले के अभिलेख के परिशीलन और पक्षों को विद्वत अधिवक्ता ने सुना, हम इस अपील की अनुमित के लिए प्रकृत हैं और जबिक अपास्त हो रहे आक्षेपित आदेश को बुनियादी अवलोकनों के आलोक में रिट याचिका को नये सिरे से गुण दोषों पर निर्णय लेने के लिए मामले को मा. उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषण किया गया।
- 12. हमारे विचार के दृष्टिगत, मामले के प्रतिप्रेषण को अवसर की आवश्यकता है क्योंकि हमने पाया कि मा. उच्च न्यायालय ने मुद्दे का निर्णय नहीं किया, जो रिट याचिका की विषय-वस्तु थी, कृष्णा मोटर सर्विस द्वारा इसके भागीदार बनाम एच. बी. विट्टल कामथ, 1996(10) एससीसी 88 के मामले में इस न्यायालय द्वारा कानून को ध्यान में रखते हुए प्रतिपादित किया।
- 13. हमारी दृष्टि में, यहाँ मा. उच्च न्यायालय को पूर्वकथित निर्णय सूचित करना चाहिए और तदनुसार कानून के आलोक में निर्णीत प्रश्न प्रतिपादित हों। दुर्भाग्य से मा. उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय को ध्यान में नहीं रखा और इस तरह से यह न्यायालय हस्तक्षेप की अपेक्षा में एक त्रुटि करने को प्रतिबद्ध हुई।

उदघोषणा

14. इस कारणवश, हमारे विचार के दृष्टिगत, कृष्णा मोटर सर्विस (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा कानून की दृष्टि में प्रतिपादित नये सिरे से गुण दोषों को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका के निर्णय के लिए मामला मा. उच्च न्यायालय को प्रेषित होना चाहिए।

15. पूर्ववर्ती बहस के दृष्टिगत, यह अपील सफल और तदनुसार अनुमन्य होता है, आक्षेपित आदेश अपास्त होता है। मामला मा. उच्च न्यायालय को रिट याचिका के निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। जहाँ से इस याचिका का उद्भव हुआ है, नये सिरे से गुण दोषों पर उपरोक्त के रूप में अवलोकन की जाती है।

- 16. चूँिक मा. उच्च न्यायालय को मामले के प्रतिप्रेषण के एक मत गठित होने के बजाय इस अपील के तथ्यों में प्रथमतः मुद्दे के निर्णय हेतु उसके गुण दोषों पर अभ्यास करने से हम लोग बच जाते। अतः मा. उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश और आक्षेपित आदेश की क्रिया में किसी भी अवलोकनों द्वारा अप्रभावित विधिसम्मत सख्ती से मामला निर्णीत होगा।
- 17. चूँिक मामला काफी पुराना है, हम मा. उच्च न्यायालय से इस रिट याचिका को यथा संभव शीघ्रता से अधिमानतः 6 माह के अंदर निपटान करने का निवेदन करते हैं।

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे

<u> उद्घाषणा</u>

.....

न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी

नई दिल्ली

04 अप्रैल 2019

उदघोषणा

<u>"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और</u> किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।